3/9/2020	मिसल पेश। वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। वादीगण अधिवक्ता वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 88, 188 RTA में कोई कार्यवाही नहीं चाहते तथा अधिकार सुरक्षित रखते वाद पत्र वापस लिया करने हेतु आ.पत्र पेश किया। जिसे स्वीकार किया जाता है। एवं वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 RTA का Not press किये जाने से किसी कार्यवाही शेष नहीं होने से पत्रावली सही हल पर खारिज की जाती है। पत्रावली मेसलक शुमार कर नियमानुसार निकाली।
Not press	
3/9/2020	

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 13:59:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner